न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

श्री अजितनाथ जनकल्याण समिति

पंजीयन कमांक 06/012/01/11133/015

द्वारा अध्यक्ष–अरविन्द जैन वल्द श्री रक्षपाल जैन

निवासी परवारी मोहल्ला, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर

...पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

म.प्र. शासन

... रेस्पांडेंट

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्त्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सम्मानीय न्यायालय से निवेदन करता है:–

पुनरीक्षणकर्त्ता उक्त पुनरीक्षण श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र.क. 94–अ/20/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैं :–

1– यह कि श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर तथा श्रीमान् कलेक्टर महोदय,छतरपुर द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय सिंद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायहित में है।

(2)

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 449–एक/17 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 94 अ–20/15–16 में पारित आदेश दिनांक 4–11–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आवेदक की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई थी, किन्तु आवेदक के अभिभाषक ने प्रथक से आवेदन प्रस्तुत कर मांग है कि मामला नजूल भूमि के आवंटन से सम्बन्धित है किन्तु भूलवश उनसे अभ्यावेदन के बजाय निगरानी प्रस्तुत हो गई है, इसलिये मामला राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अभ्यावेदन मानकर निराकरण किया जावे। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत हुआ कि आवेदक जन कन्याण समिति के रूप में कार्यरत होकर रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज सागर संभाग के यहॉ कमांक 06/12/01/11133/15 पर पंजीयत संस्था है जिसने नजूल अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि रामगली बजरिया स्थित खंडहर के रूप में विखण्डित भवन का क्षेत्रफल 4590 वर्गफुट (आगे जिसे वाद ग्रास्त भूखंड सम्बोधित किया है) म0प्र0शासन निर्माण विभाग विभाग, भोपाल के पत्र कमांक एफ–2/1/99/सा–19 दिनांक 2–2–2001 से राजस्व विभाग को भूमि समर्पित कर दी गई है जिसे समाज कल्याण के लिये जैन समाज छतरपुर को आवंटित किया जावे। नजूल अधिकारी छतरपुर ने प्रकरण कमांक 04 अ–20/2000–01 पंजीबद्ध किया । जॉच एंव सुनवाई उपरांत कलेक्टर छतरपुर को आदेश हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 6–5–16 से प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक संस्था ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 94 अ–20/15–16 में पारित आदेश दिनांक 4–11–2016 से	

अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि प्रकरण नजूल भूमि के आवंटन का है इसलिये संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील पोषणीय नहीं है। इसी आदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई थी, किन्तु आवेदक के अभिभाषक ने प्रथक से आवेदन प्रस्तुत कर मामला नजूल भूमि से सम्बन्धित होने एंव भूलवश उनसे अभ्यावेदन के बजाय निगरानी प्रस्तुत होना बताते हुये अभ्यावेदन के रूप में सुने जाने की मांग की है।

3/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। शासन के पैनल लायर का तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण संहिता की धारा 44 में किया है इसलिये मामला संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत होने से प्रचलन योग्य नहीं है। जब आवेदक के अभिभाषक ने प्रथक से आवेदन प्रस्तुत कर मांग है कि मामला नजूल भूमि से सम्बन्धित है किन्तु भूलवश उनसे अभ्यावेदन के बजाय निगरानी प्रस्तुत हो गई है, इसलिये मामला राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अभ्यावेदन मानकर निराकरण किया जावे, तब क्या कलेक्टर छतरपुर द्वारा नजूल भूमि के आवंटन पर पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अभ्यावेदन सुनवाई योग्य है अथवा नहीं ? स्थिति यह है कि भले ही अभिभाषक द्वारा भूल से/त्रृटिवश नियम , अधिनियम गलत लिखकर अपील/निगरानी प्रस्तुत कर दी गई हो, न्याय की दृष्टि से अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये एंव पक्षकार को न्यायदान के उद्देश्य से सही नियम, अधिनियम में मामला विचार करके मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर करना चाहिये।

4/ शासन के पैनल लायर द्वारा आपत्ति की गई है कि मूल मामला नजूल भूखंड के आवन्टन का हे जो राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत सुना जावेगा एंव राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत नजूल भूमि आवंटन/निरस्तीकरण के मामले में अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करने के नियम हैं। विद्वान पैनल लायर द्वारा प्रस्तुत तर्को के कम में स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बानमौर सीमेंट वर्क्स लिमि०(मेस.) मुरैना विरूद्ध म०प्र०राज्य 2012 रा०नि० 385 में व्यवस्था दी है कि-

Maintainability of appeal- order passed by Revenue Officer under provision of M. P. Reveue Book Circulars- appeal against such order is maintainanble before Board Of Revenue.

राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Q449–एक/17 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्त
	अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील/निगरानी/ अभ्यावेदन प्रकरणों को सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है। राजस्व मण्डल राजस्व मामलों के निराकरण के लिये मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्य अॅग है जिसके कारण पैनल लायर का तर्क बेबुनियाद है। 5/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि जैन समाज छतरपुर की ओर से कलेक्टर को वादग्रस्त भूखंड के आवेदन हेतु आवेदन दिनांक 7–8–2001 प्रस्तुत किया गया है जिसके पद एक का उद्धरण इस प्रकार है – **'' आपका उपरोक्त सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी ने शासकीय खादी भण्डार छतरपुर को जैन समाज छतरपुर के लिये आवंटित किये जाने की सूचना दी गई है। उक्त संदर्भ में जैन समाज छतरपुर माननीय मुख्य मंत्री का हृदय से आभारी है ''** **और यह मांग आवेदन पत्र कलेक्टर छतरपुर के पत्र कमांक 290/एस.सी.21/2001 दिनांक 24–7–2001 से की गई अपेक्षा के कम में प्रस्तुत हुआ है।** जब नजूल अधिकारी ने नगर एंव ग्राम निवेश कार्यालय छतरपुर से उक्त सम्बन्ध में अभिमत मांगा, सहायक संचालक व्दारा पत्र कमांक नजूल/न.ग्रा.नि./01 दिनांक 8–11–01 से सहमति व्यक्त की गई है। नजूल अधिकारी छतरपुर व्दारा नजूल संधारण संपरीक्षक छतरपुर से स्थल का जॉच प्रतिवेदन मांगा है जिसके अंतिम पैरा का उद्धरण इस प्रकार है –	

" प्रश्नाधीन भवन पुराना एंव जीर्ण–शीर्ण हालात में है वर्तमान समय में खादी ग्रामोद्योग विभाग व्दारा उक्त भवन का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है चूंकि प्रश्नाधीन भवन खादी ग्रामोद्योग विभाग के आधिपत्य में है इसलिये उक्त भवन भूखंड को अन्य व्यक्ति या संस्था को आवंटित या हस्तांतरित करने के लिये संबंधित विभाग से सहमति लिया जाना आवश्यक एंव उचित होगा। "

अर्थात पूर्व से जीर्ण–शीर्ण होने के कारण निर्मित क्षेत्र जो टूटफूट कर खुले क्षेत्र का रूप ले चुका है खादी ग्रामोद्योग विभाग के लिये अनुपयोगी हो जाने से उपयोग में नहीं है एंव वर्तमान में लोक निर्माण विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित है। जबकि समिति आवेदन दिनांक 7–8–2001 के पद 3 में निम्नानुसार बचन देकर शासन की निर्धारित रेंट एंव शर्तो के अधीन विखण्डित भवन क्षेत्रफल 4590 वर्गफुट का आवंटन चाहती है।

" यह कि जैन समाज छतरपुर भवन को आवंटित किये जाने में शासन व्दारा जो भी शर्तो लगाई जावेंगी, वह उसे स्वीकार्य होंगी। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि समिति को वादग्रस्त क्षेत्रफल 4590 वर्गफुट दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है क्योंकि समिति शासन व्दारा लगाई जाने वाली समस्त शर्तो मानने के लिये तैयार है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभ्यावेदन स्वीकार किया जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 94 अ–20/15–16 में पारित आदेश दिनांक 4–11–2016 तथा कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ–20/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 6–5–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा छतरपुर नगर स्थित वादग्रस्त क्षेत्रफल 4590 वर्गफुट समिति को कलेक्टर छतरपुर व्दारा लगाई जाने वाली आवन्टन शर्तो के अधीन आवंटित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सदस्य